

पत्रांक: 5प/स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय-01-05/2019/ 73(378)/पं०रा०

बिहार सरकार
पंचायती राज विभाग

प्रेषक,

कल्पना कुमारी,
अनुश्रवण पदाधिकारी

सेवा में,

उप विकास आयुक्त बेगुसराय, भागलपुर, गया,
गोपालगंज, खगड़िया, पूर्वी चम्पारण, मुजफ्फरपुर,
नालन्दा, पूर्णिया एवं समस्तीपुर।
प्रमंडलीय उप निदेशक, पंचायत राज पटना, गया
एवं दरभंगा।
सभी जिला पंचायत राज पदाधिकारी, बिहार।

पटना, दिनांक 18/3/2020

विषय : स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय अंतर्गत "मुख्य शीर्ष-2515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम-उपमुख्य शीर्ष-00-लघुशीर्ष-001-निदेशन एवं प्रशासन-उपशीर्ष-0003-जिला पंचायत की स्थापना" मद में राशि का आवंटन।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक बजट शीर्ष के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2019-20 में व्यय हेतु संलग्न विवरणी के अनुसार निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी के पदनाम के सामने इकाईवार अंकित कुल ₹55,85,16,000.00 (पचपन करोड़ पचासी लाख सोलह हजार रुपये) मात्र की राशि आवंटित की जाती है।

2. यह आवंटन वित्त विभाग के परिपत्र संख्या एम-4-05/98-2561 वि(2) दि० 17 अप्रैल 1998, 256 दिनांक 26.02.2019, 3392 दिनांक 01.03.2019, 732 दिनांक 31.07.2019, 6786 दिनांक 19.08.2019 एवं 885 दिनांक 03.02.2020 में निहित अनुदेशों के आलोक में निर्गत किया जा रहा है।

3. उप विकास आयुक्त कार्यालय स्थापना मद में आवंटित राशि से राज्य सरकार द्वारा नियुक्त एवं कार्यरत जिला अभियंता, यदि किसी जिला परिषद में हैं, तो उनके वेतनादि का भुगतान भी इस आवंटित राशि से किया जायेगा।

4. "सर्वप्रथम इस आवंटित राशि से माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में यदि किसी प्रकार के बकाये वेतन आदि का नियमित भुगतान किया जाना आवश्यक है, तो उसका भुगतान किया जाये। तत्पश्चात अवशेष राशि से नियमित वेतन का भुगतान किया जाये। यदि इसके बाद भी राशि अवशेष रहती है, तो नियमानुसार बकाया वेतन की निकासी की जा सकती है"।

5. आवंटित राशि का भुगतान नियमित रूप से नियुक्त कर्मों को ही किया जाये। यदि कोई छद्मपूर्ण या अनियमित निकासी होती है तो इसकी पूरी जिम्मेवारी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी। इस राशि की निकासी संबंधित कोषागार/जिला कोषागार से की जायेगी।

6. कोषागार में प्रस्तुत किये जाने वाले सभी विपत्रों पर मुख्य शीर्ष/लघुशीर्ष/उपशीर्ष/प्राथमिक इकाई आदि की स्पष्ट मुहर, इकाईयों का कोड, विपत्र कोड एवं मांग संख्या अनिवार्य रूप से अंकित की जाये ताकि महालेखाकार के कार्यालय में लेखा संधारण समुचित ढंग से हो सके।
7. वित्तीय नियमावली, बजट मैनुअल तथा अन्य सुसंगत अभिलेखों में निहित प्रावधानों तथा समय-समय पर निर्गत आदेशों का दृढ़तापूर्वक पालन किया जाये ताकि व्यय पर वास्तविक रूप से नियंत्रण रखा जा सके।
8. किसी भी परिस्थिति में आवंटन दिये जाने का अर्थ व्यय की स्वीकृति नहीं समझा जाये तथा भुगतान के औचित्य से पूर्णतः संतुष्ट होने के उपरान्त ही भुगतान की कार्रवाई की जाये। तदनुसार भुगतान सुनिश्चित करना संबंधित पदाधिकारी की व्यक्तिगत जिम्मेवारी होगी।
9. नियमानुसार स्रोत पर अनुमान्य कटौती करना तथा उसके लिए आवश्यक प्रमाण पत्र निर्गत करना संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी/भुगतान करने वाले पदाधिकारी की जिम्मेवारी होगी।
10. आवंटित राशि की व्यय विवरणी प्रत्येक माह की पाँचवी तारीख तक मुख्यालय को भेजना सुनिश्चित किया जाये। व्यय न होने पर शून्य व्यय विवरणी भेजी जाये।
11. आवंटन प्रस्ताव एवं प्रारूप में विभागीय प्रधान सचिव का अनुमोदन प्राप्त है।
12. इस आवंटनादेश के सभी पृष्ठ अनुश्रवण पदाधिकारी, पंचायती राज विभाग द्वारा हस्ताक्षरित हैं।
13. इसकी मांग संख्या 16 एवं विपत्र कोड संख्या 16-2515000010003 है।
14. इसकी सूचना महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार, वीरवन्द पटेल पथ, पटना को भी दी जा रही है।

अनुलग्नक : यथा उपर्युक्त।

विश्वासभाजन

(कल्पना कुमारी)

अनुश्रवण पदाधिकारी

ज्ञापांक: 5प/स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय-01-05/2018/73(3/0) पं०रा० पटना, दिनांक 18/3/2020
प्रतिलिपि: महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार, पटना/सभी जिला पदाधिकारी/सभी संबंधित कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक : यथा उपर्युक्त।

(कल्पना कुमारी)

अनुश्रवण पदाधिकारी

ज्ञापांक: 5प/स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय-01-05/2017/73(3/0) पं०रा० पटना, दिनांक 18/3/2020
प्रतिलिपि: आई०टी० मैनेजर, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक : यथा उपर्युक्त।

(कल्पना कुमारी)

अनुश्रवण पदाधिकारी

पंचायती राज विभाग
वित्तीय वर्ष 2019-20 में स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय अंतर्गत 'मुख्य शीर्ष-2515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम-उपमुख्य शीर्ष-00-तट्टु शीर्ष-001-निदेशन तथा प्रशासन-उपशीर्ष-0003-खिला पंचायत की स्थापना' मद में व्यय हेतु राशि (रुपये में) का आवंटन विवरणी।

क्र०	विकासी एवं व्यवसाय एकाधिकारी	देयता										अन्य माला	प्रतिपक्षि माला	ग्राम स्वयं	कार्यालय स्वयं	वाहन का स्वयं एवं रख रखा	पुस्तक 0003.13.03	विद्युत पुस्तक 0003.13.04	वर्ष / वर्षांक 0003.13.05	माह की शुरुआत 0003.13.10	राशि का अवधि 0003.20.03	शेष 0003.28.02	योग
		देयता 0003.01.01	वर्गीकरण 0003.01.03	मंजूरता 0003.01.04	पंजीयता 0003.01.05	प्रिलयता 0003.01.06	कुल																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20				

उप विकास आयुक्त कार्यालय स्थापना हेतु																				
1	उप विकास आयुक्त, सारनवा	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200000	200000	2050000
2	उप विकास आयुक्त, गंगा	936000	156000	48000	12000	6000	1158000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1158000	1158000
3	उप विकास आयुक्त, गंगोपालगंज	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5000
4	उप विकास आयुक्त, मुजफ्फरपुर	624000	104000	32000	8000	6000	774000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	779000	779000
5	उप विकास आयुक्त, पूर्वी बंगाल	624000	104000	32000	8000	6000	774000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	774000	774000
6	उप विकास आयुक्त, गंगानगर	312000	52000	16000	4000	6000	396000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200000	590000
7	उप विकास आयुक्त, सारनगिर	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	उप विकास आयुक्त, पूर्णिया	624000	104000	32000	8000	6000	774000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	774000	774000
9	उप विकास आयुक्त, देहातवा	390000	65000	20000	5000	6000	486000	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	492000	492000
10	उप विकास आयुक्त, जगदीश	936000	156000	48000	12000	6000	1158000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1163000	1163000
	कुल	4446000	741000	228000	57000	42000	5514000	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400000	5940000

ग्रामस्थानीय उप निदेशक, पंचायत राज कार्यालय स्थापना हेतु																				
11	उप निदेशक, पंचायत राज, पटना	780000	130000	40000	10000	20000	980000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	985000	985000
12	उप निदेशक, पंचायत राज, गंगा	624000	104000	32000	8000	16000	784000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	784000	784000
13	उप निदेशक, पंचायत राज, दरभंगा	624000	104000	32000	8000	16000	784000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100000	889000
	कुल	2028000	338000	104000	26000	52000	2548000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2658000

D 446 Enrichment/Alteration 2019-2020 (in Control) 2 m²/hr Punctured 2018-2020a Punctured 16

कुल = पद्यपन करोके पिद्यासी ता एजारे रूपये मात्र

अनुश्रवण पदाधिकारी